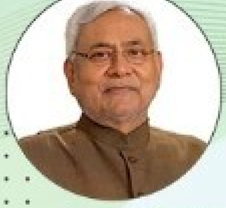

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

बिहार सरकार

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास अनुदान योजना

अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा के प्रति जागरूक करने एवं पाठनकार्य के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए अल्पसंख्यक छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र- छात्राओं को अनुदान दिया जाता है।

पात्रता

- छात्र / छात्राएं बिहार राज्य के **अल्पसंख्यक समुदाय** के स्थायी निवासी हों।
- छात्र / छात्राएं **अल्पसंख्यक छात्रावास** में आवासित हों।
- छात्र / छात्राएं **मान्यता प्राप्त संस्थान** में अध्ययनरत होना चाहिए।

अनुदान की राशि

प्रतिमाह 1,000/- रूपये प्रति छात्र / छात्रा

वेबसाइट- https://state.bihar.gov.in/minoritywelfare/CitizenHome.html

टोल फ्री फोन न0: 18003456123

/iprdbihar @iprd_bihar

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास अनुदान योजना

अल्पसंख्यक छात्रावास योजना

अल्पसंख्यक छात्रावास में आवासित अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं के उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने के उद्येश्य से छात्रावास अनुदान दिया जा रहा है।

छात्रावास अनुदान के लिए अर्हता :

- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावासों में छात्र/छात्रा विधिवत नामांकित एवं आवासित हो
- छात्र/छात्रा बिहार राज्य के अल्पसंख्यक वर्ग के स्थायी निवासी हो
- छात्र/ छात्रा को मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम एवं मान्यता प्राप्त संस्थान में अध्ययनरत होना चाहिए
- संबंधित माह में छात्र/ छात्रा द्वारा कम से कम 25 दिन छात्रावास में निवास किया गया हो

भुगतान की प्रक्रिया

- संबंधित छात्रावास के स्वीकृत बल के आलोक में छात्र/ छात्राओं की सत्यापित सूची एवं संबंधित सूचना छात्रावास अधीक्षक द्वारा जिला अल्पसंख्यक पदाधिकारी को समर्पित किया जाएगा

- जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के स्तर से अनुमोदित सूची के आधार पर विभागीय स्तर पर योजना हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा छात्रावास अनुदान की स्वीकृति के पश्चात लाभान्वित होने वाले छात्र–छात्राओं के बैंक खाते में ₹1000/– राशि का अंतरण किया जाएगा

#BiharGovtInitiative